न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर।

अपील संख्या-37/2010

गोपीराम पुत्र फूलचन्द जाति माली निवासी जीवा वाली ढाणी तन बुडाना तहसील व जिला झुन्झुनू ।

---अपीलान्ट---

---बनाम---

1- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुन्झुनू ।

2- जिला कलेक्टर झुन्झुनू ।

---रेस्पोंडेन्टस---

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 16-11-2009 द्वारा जिला कलेक्टर झुन्झुनू एवं निर्णय दिनांक 25-7-08 द्वारा तहसीलदार झुन्झुनू ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति-

1-श्री विनोदकुमार गिल एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री बिरजूसिंह शेखावत राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक- 13.6.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का ने रिपोर्ट की कि ग्राम ढाणी जीवा वाली की राजकीय भूमि ख0नं0 177 रकबा 0.79 हैक्टर व ख0नं0 178 रकबा 0.34 हैक्टर कुल किता-2 रकबा 1.13 हैक्टर पर गोपीराम पुत्र फूलचन्द ने सरसों काश्त कर अतिक्रमण कर रखा है । इस पर गैर सायल को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम- की धारा -91 का नोटिस देकर सुनवाई करते हुये उक्त आराजी पर अपीलान्ट को अतिक्रमि घोषित कर बेदखल किये जाने का देश दिया । इस आदेश के विरुद्ध

विद्वान जिला कलेक्टर झुन्झुनू में अपील पेश की गई जिसको स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार को अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देकर अपना निर्णय पुनः पारित करने का निर्देश दिया जिस पर तहसीलदार ने अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुये विवादित आराजी रा0उ0प्रा0वि0 ढाणी जीवा वाली को आवंटन हो चुकी तथा कब्जा भी संस्था प्रधान को सम्भलाया जा चुका है इस कारण प्रकरण में धारा-91 की कार्यवाही को ड्रोप कर दी । जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने पुनः जिला कलेक्टर झुन्झुनू के यहां अपील पेश की जिसे विद्वान जिला कलेक्टर झुन्झुनू ने खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ﴾तहसीलदार﴿ ने अपीलान्ट के खिलाफ दिनांक 30-5-2007 को एकपक्षीय निर्णय पारित किया जिसकी अपील माननीय जिला कलेक्टर झुन्झुनू के यहां पेश की जिस पर मा0 जिला कलेक्टर झुन्झुनू ने दिनांक 24-3-2008 को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की कि अपीलान्ट को सुनवाई का उचित अवसर देकर निर्णय पारित करे किन्तु विद्वान तहसीलदार ने अपीलान्ट को बिना सुने ही आदेश दिनांक 25-7-2008 को पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है । आराजी पुराने ख0नं0 894 रकबा 20 बीघा 2 बिस्वा भूमि ग्राम बुडाना में स्थित थी उक्त भूमि में 3/4 हिस्सा बिसाऊ ठिकाना का तथा 1/4 हिस्सा डुण्डलोद ठिकाना का था । ख0नं0 894 के बटटा नम्बर काश्त के हिसाब से बनते गये जिसमें 894/5 व 894/8 पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त रहा है । ख0नं0 894/5 के नये ख0नं0 177 तथा गत ख0नं0 894/8 के नये खसरा नं0 178 बने है ।राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने से पूर्व अपीलार्थी के पूर्वज काश्त करते थे । खसरा गिरदावरी डिविजन जयपुर के अनुसार ख0नं0 894/5 व ख0नं0 894/8 में मनसुख वल्द जीव व गणपत वल्द लालचन्द की काश्त दर्ज है। सम्वत 2009 से पूर्व से ही उक्त भूमि अपीलार्थी के पूर्वजो के

काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने से पूर्व अपीलार्थी के पूर्वज गणपतराम व फूलाराम ने लगान अदा किया है । अदालत मातहत ने इन तथ्यों पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है । ख0नं0 177 व 178 कभी भी खाली नहीं रहा है, इस आराजी पर लगातार काश्त होती रही है । राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1963 के अन्तर्गत केवल खाली भूमि ही अलोट की जा सकती है अदालत मातहत ने इन तथ्यों पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर भूमि ख0नं0 177 व 178 का नियमन अपीलान्ट के पक्ष में किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोन्डेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गयी । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि आराजी ख0नं0 177 व 178 हमेशा से ही अपीलान्ट के कब्जा काश्त में रही है जिस पर सदा ही काश्त की जाती रही है । यह आराजी कभी भी खाली नहीं रही इस आराजी का अपीलान्ट के पूर्वज सम्वत 2003 अर्थात दिनांक 24-4-1947 से ही ठिकाना बिसाऊ को लगान जमा करवाया है । राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1963 के अन्तर्गत केवल जो भूमि खाली हो उसको ही आंवटन किया जा सकता है । जब यह आराजी खाली है ही नहीं तो इस आराजी का आवंटन नहीं किया जा सकता और यदि आंवटन किया भी गया है तो वह आंवटन विधि के विपरित है । आज भी विवादित आराजी पर हमारा कब्जा है । तहसीलदार झुन्झुनू ने मेरा कब्जा हटाया जिसमें उस पर कन्टेम्पट की कार्यवाही की गई है । अदालत मातहत ने कैसे मान लिया कि रा0उ0प्रा0 वि0 ढाणी जीवा वाली को आंवटन हो चुकी तथा कब्जा सम्भला दिया गया । अदालत मातहत ने यह आदेश केवल कयासों के आधार पर जारी किया है । विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा है । अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर विवादित आराजी को अपीलान्ट के पक्ष में नियमन किया जावे ।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है । अपीलान्ट विवादित आराजी पर एक अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है जिसे बेदखल किया गया है । विवादित आराजी राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय को भवन निर्माण एवं खेल मैदान के लिये आंवटित की गई है।आवंटन के बाद इस आराजी का कब्जा स्कूल को सम्भलाया गया तथा आंवटन का राजस्व रेकार्ड में अंकन किया गया है ।अपीलान्ट का इस आराजी से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है ।अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । आराजी खoनo 177 व 178 राजकीय भूमि है जिसकी किस्म बंजड द्वितीय है । जो आदेश क्रमांक/प-12(3)राज/8/1424-29 दिनांक 4-3-2008 द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय जीवा वाली ढाणी(बुडाना) को भवन एवं खेल मैदान के लिये आंवटन की गई है । तथा विद्वान जिला कलेक्टर झुन्झुनू ने अपने आदेश दिo 24-3-2008 के द्वारा विवादित आराजी के बाबत विचाराधीन अपील को स्वीकार कर तहसीलदार झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः नियमानुसार गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावे । पत्रावली विद्वान तहसीलदार को रिमाण्ड किये जाने पर तहसीलदार झुन्झुनू ने प्रकरण मे सुनवाई करते हुये अपने निर्णय दिनांक 25-7-2008 मे दर्ज कर दिया कि" चूकि उक्त आराजी राoउoप्राoविo ढाणी जीवा वाली को आंवटन हो चुकी है तथा राजस्व अभिलेख में संस्था के नाम दर्ज हो चुकी है तथा कब्जा भी संस्था प्रधान को सम्भलाया जा चुका है ।ऐसी स्थिति मे प्रकरण मे पुनः सुनवाई जैसी कोई प्रक्रिया शेष नहीं बची है । अर्थात विद्वान तहसीलदार ने अपीलान्ट को बिना सुने ही यह आदेश पारित किया है जबकि विद्वान जिला कलेक्टर झुन्झुनू ने अपने निर्णय में स्पष्ट अंकित किया है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः नियमानुसार गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावे । इस प्रकार विद्वान तहसीलदारझुन्झुनू के न्यायालय मे अपीलांट को सुनवाई का अवसर न देकर आदेश पारित किया है जिससे स्पष्ट है तहसीलदार

ने विद्वान जिला कलेक्टर झुन्झुनू के आदेश की पालना न कर अपीलान्ट को बिना सुने यह लिखते हुये आदेश पारित किया है कि" प्रकरण में पुनः सुनवाई जैसी कोई प्रक्रिया शेष नहीं बची है ।" जबकि विद्वान जिला कलेक्टर झुन्झुनू ने अपने आदेश में प्रकरण रिमाण्ड ही इस लिये किया है कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देकर आदेश पारित किया जावे ।तहसीलदार झुन्झुनू ने जिला कलेक्टर के आदेश की पालना न कर आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है ।अतः हम न्यायहित में अपीलान्ट की अपील को स्वीकार कर विद्वान तहसीलदार झुन्झुनू को प्रकरण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित मानते हैं कि वह विद्वान जिला कलेक्टर झुन्झुनू के निर्णय दिनांक 24-3-2008 के निर्देशानुसार अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जावे ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान जिला कलेक्टर झुन्झुनू का निर्णय दिनांक 16-11-2009 एवं विद्वान तहसीलदार झुन्झुनू का निर्णय दिनांक 25-7-2008 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार झुन्झुनू को रिमाण्ड किया जाता है कि वह प्रकरण में अपीलांट को विद्वान जिला कलेक्टर झुन्झुनू के निर्णय दिनांक 24-3-2008 की पालना मे सुनवाई का अवसर देकर अपना निर्णय पुनः पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 31-7-2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 13.6.2018 को सुनाया गया ।

13/6/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर